

10/11/20

पार्थी एवं पार्थी वकील उपस्थित नहीं।
बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु
कोई उपस्थित नहीं। ऐसी स्थिति में
प्रा. पत्र पार्थी अदम हाजरी एवं
अदम पंरवी में खातिज किया जाता
है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)